भाग–3

योजनाएँ

3.1 कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन

विभाग में प्रत्येक वनमण्डल के 10 वर्षो की कार्य आयोजना तैयार कर वनों का प्रबंधन किया जाता है। योजना के माध्यम से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में वनीकरण भी किया जाता है, साथ ही बिगडे वनों के सुधार गतिविधियॉ एवं सघन वनों में पुनरूत्पादन हेतु सहायक वन वर्धनिक कार्य, वन सीमांकन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य कराये जाते है। जहां आवश्यक है वहां राशि की उपलब्धता अनुसार भूमि एवं जल संरक्षण किया जाता है। क्षेत्र की तकनीकी उपयुक्तता एवं आवश्यकतानुसार चारागाह एवं जलाऊ रोपण भी किया जाता है। इस हेतु कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वन विकास उपकर निधि से व्यय योजना के अन्तर्गत बजट में प्रावधान कराया जाता है।

कार्य आयोजनाओं के क्रियान्वयन अन्तर्गत विगत वर्षो में कराये गये कार्यों की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों का विवरण तालिका क्रमांक 3.1 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 3.1
कार्य वृत्त समूहवार कार्यों की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धि

(क्षेत्रफल हे0 में/राशि लाख रु0 में)

वर्ष	कार्य आयोजनाओं के कार्यवृत्त	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
2011-2012	समस्त समूह	361730	22161.29	361730	22170.44
2012-2013	संरक्षण समूह	19679	24967.98	19679	24954.33
	पुनरूत्पादन समूह	179946		179946	
	पुनर्स्थापना समूह	183742		183742	
2013-2014	संरक्षण समूह	18284	39424.88	18284	39367.74
	पुनरूत्पादन समूह	159806		159806	
	पुनर्स्थापना समूह	166838		166838	
2014-2015	संरक्षण समूह	18284	59178.19	18173	53905.62
	पुनरूत्पादन समूह	161056		156109	
	पुनर्स्थापना समूह	181936		175760	
2015-2016	संरक्षण समूह	16000	45550.00	13296	18754.65
	पुनर्स्थापना समूह	160000		157065	
	अतिव्यापी समूह	72923		72923	

विगत पॉच वर्षों में योजनान्तर्गत रोपण कार्य किया गया का विवरण तालिका क्रमांक 3.2 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 3.2
योजनान्तर्गत वर्षवार रोपण कार्य

रोपण वर्ष	क्षेत्र हेक्टेयर में
2011-2012	28867.31
2012-2013	18919.48
2013-2014	25642.05
2014-2015	56930.49
2015-2016	96576.52

3.2 वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण

इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः वन विभाग के कार्यालय भवन, वन कर्मचारियो के आवास, सामूहिक गश्ती दल के लिये चौकी, चौकी पर रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आवास हेतु लाईन क्वार्टर तथा नयी सड़कों एवं पुल, पुलिया का निर्माण कराया जाता है। परिवर्तित स्वरूप में इस योजना से वन प्रबंध हेतु अन्य अधोसंरचना विकास जैसे, संचार टॉवर, सौर ऊर्जा संयंत्र आदि भी स्थापित किये जाते है। विभिन्न वर्षो में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरूद्व हुये व्यय का विवरण तालिका क्रमांक 3.3 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 3.3
योजनान्तर्गत वर्षवार रोपण कार्य

(राशि लाख रु0 में)

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
2011-2012	277 आंशिक भवन पूर्ण करना तथा 388 भवन, 10 चौकी 8 लाईन क्वार्टर	2600.00	277 आंशिक भवन पूर्ण तथा 388 भवन, 10 चौकी 8 लाईन क्वार्टर	2592.92
2012-2013	141 आंशिक भवन पूर्ण करना तथा 592 भवन, 16 लाईन क्वार्टर	5000.00	141 आंशिक भवन पूर्ण तथा 592 भवन, 16 लाईन क्वार्टर कार्य	4998.64
2013-2014	961 भवन निर्माण कार्य	7700.00	पूर्ण	7679.38
2014-2015	693 भवन निर्माण कार्य	8000.00	303 भवन पूर्ण एवं 390 आंशिक भवन पूर्ण	5487.68
2015-2016	433 भवन निर्माण कार्य	6000.00	390 भवन 2014–15 के एवं 433 भवन 2015–16 के निर्माणाधीन	3571.01

3.3 विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं / परियोजनाएं

यू.एन.डी.पी. – जी.ई.एफ परियोजना

म.प्र. सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना शाखा द्वारा वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) के अनुदान से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से एक परियोजना '' म.प्र. एकीकृत भूमि एवं पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन'' का कियान्वयन किया जा रहा है।

इस शाखा में पदस्थ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा शाखा की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर परियोजना हेतु प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन, की अध्यक्षता में परियोजना संचालन समिति गठित है। परियोजना की लागत 57.60 लाख डॉलर अर्थात लगभग 34.00 करोड रूपये तथा अवधि 05 वर्ष के लिये (2010 से 2015) है। उल्लेखनीय है कि परियोजना की अवधि

दिसम्बर 2016 तक बढाने हेतु आर्थिक कार्य विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष 2014 में लेख किया गया है। इस संबंध में वर्ष 2015 के प्रारंभ में (DEA) द्वारा परियोजना इकाई के अधिकारियों तथा UNDP कार्यालय नई दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक भी आहूत की गई थी। परियोजना अवधि विस्तार के संबंध में DEA से औपचारिक सूचना प्राप्त होना अपेक्षित है। माह जनवरी 2016 में परियोजना का अंतिम मूल्यांकन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा UNDP द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना प्रदेश के 05 जिलों बैतूल, छिन्दवाड़ा, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया जिलों के दस वन मण्डलों में कियान्वित की जा रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल वायु परिवर्तन एवं भूमि क्षरण के प्रभाव को कम करना है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये गया हैः–

1. **बिगडे बांस वनों का सुधार**

   परियोजना अवधि में 10 मण्डलों की 60 वन समितियों के लगभग 15780 हेक्टेयर बिगडे बांस वन क्षेत्र में कार्य कराया गया है, जिससे लगभग 789 परिवार लाभान्वित हुये है। इस कार्य के एवज में प्रति हितग्राही परिवार को रूप में 3500/– प्रतिमाह का मानदेय प्रदाय किया गया है। प्रति परिवार द्वारा प्रतिवर्ष 5 हेक्टेयर के मान से 4 वर्षों में कुल 20 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया गया।

2. **ऊर्जा एवं चारा रोपण की स्थापना**

   200–200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से ऊर्जा एवं चारा रोपण की स्थापना की गई।

3. **ग्रामीणों की बाड़ियों में औषधीय प्रजातियों का वृक्षारोपण**

   इस घटक के अन्तर्गत ग्रामीणों की बाडियों में औषधीय एफ फलदार प्रजातियों जैसे ऑवला, बेल, सतावर, सर्पगंधा, एलोबेरा, पपीता आदि के पौधे रोपण हेतु चिन्हित 400 समिति में से प्रत्येक में 1500 पौधों का वितरण किया गया। कुल 6 लाख पौधे लगाये जा चुके हैं।

4. **वन/गैर वन भूमि स्थित जल ग्रहण क्षेत्र का प्रबंधन**

   कुल 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 वन समितियों के माध्यम से मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (कंटूर, ट्रेंच, गली प्लगिंग, स्टाप डैम, नाला बंधान, निस्तार टेंक आदि का निर्माण) कराये गये हैं।

5. **वन समिति सदस्यों का कौशल उन्नयन**

   परियोजना जिलों के 10 वनमंडलों में से प्रत्येक में 20 समिति सदस्यों के मान से 200 समिति सदस्यों को संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित विषयों पर मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया गया है।

6. **सूक्ष्म मध्यम उद्यम की स्थापना**

   ग्रामवासियों को आजीविका का अतिरिक्त स्त्रोत उपलब्ध कराकर उनमें उद्यमिता कौशल का विकास करने की दृष्टि से 07 वन मंडलों की वन समितियों में अगरबत्ती काड़ी, अगरबत्ती, चिन्दी रस्सी निर्माण तथा मुर्गी पालन एवं वनोपज व्यापार संबंधी उद्यम स्थापित किये गये है।

7. **कृषि एवं पशुपालन संबंधी कार्य**

   उन्नत कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ ग्रामों में कृषि संबंधित गतिविधियॉ की गई है। इस हेतु सीधी एवं छिन्दवाड़ा जिलों में 100 लघु कृषकों के 10 समूह तैयार किये गये हैं।

————————

भाग–चार

4.1 पुरस्कार

4.1.1 विभाग को प्राप्त पुरस्कार

प्रदेश में एक दिवसीय वृक्षारोपण के तहत दिनांक 31.07.2014 को विभिन्न वनमंडलों/जिलो में वन भूमि/विद्यालय, महाविद्यालय, सामुदायिक स्थल/निजी भूमि के 9272 स्थलों पर रोपित 1.43 करोड पौधों के रोपण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कराया गया है।

वन विभाग को प्राप्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड प्रमाण पत्र

4.1.2 निगम को प्राप्त पुरस्कार

म0प्र0 राज्य वन विकास निगम को निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत ग्रीनटेक फाउंडेशन के द्वारा वानिकी क्षेत्र में स्वर्ण श्रेणी का चौथा वार्षिक ग्रीनटेक सी.एस.आर पुरस्कार 2015 प्रदाय किया गया है।

4.1.3 विभागीय पुरस्कार

1. शहीद अमृता देवी विशेनोई पुरस्कार :– शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्ष रक्षा पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 सितम्बर को आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर वनों की रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिया जाता है 1. संस्थागत, 2. व्यक्तिगत (अशासकीय) तथा 3. व्यक्तिगत (शासकीय)।

- **संस्थागत पुरस्कारों** के अंतर्गत वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था (ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समितियां एवं अशासकीय स्वयं संवी संस्था) को रूपये 1.00 लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाता है।
- **व्यक्तिगत (अशासकीय)** के अंतर्गत वन रक्षा एवं वन संवर्धन तथा वन्यप्राणियों की रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को रूपये 50.00 हजार नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाता है।
- **व्यक्तिगत (शासकीय)** के अंतर्गत वन रक्षा एवं वन संवर्धन तथा वन्यप्राणियों की रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवक को रूपये 50.00 हजार नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाता है।

2. **बसामन मामा स्मृति वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार** :— मध्य प्रदेश शासन द्वारा बसामन मामा स्मृति वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निम्न दो श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा की गई है:—

- **विंध्य क्षेत्र हेतु पुरस्कार** — यह पुरस्कार विन्ध्य क्षेत्र में वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण एवं वन संवर्धन के लिये प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिये शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में रूपये 2.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में रूपये 1.00 लाख तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में रूपये 50 हजार दिये जायेंगे।

- **राज्य स्तरीय पुरस्कार** — निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिये यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाएगा। 5 हैक्टेयर से अधिक तथा 5 हैक्टेयर से कम भूमि पर 5 वर्ष से अधिक उम्र के उत्कृष्ट वृक्षारोपण हेतु। इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में रूपये 2.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में रूपये 1.00 लाख तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में रूपये 50 हजार दिये जायेंगे।

3. **वन्यप्राणी पुरूस्कार** :— वन्यप्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिये कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008 में वन्यप्राणी संरक्षण पुरूस्कार संस्थापित किये गये हैं। इस पुरूस्कार के अंतर्गत उप वनसंरक्षक/ सहायक वन संरक्षक स्तर के लिये 01, वनक्षेत्रपाल स्तर के लिये 01 तथा उप—वनक्षेत्रपाल वनपाल/ वनरक्षक स्तर के लिये 04 पुरूस्कारो का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक पुरूस्कार की राशि 50 हजार रूपये हैं। पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन हेतु शासन द्वारा प्रमुख सचिव, वन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठित है जिसमें 06 अधिकारी और 06 अशासकीय सदस्य हैं।

वन्यप्राणियों की सुरक्षा, अनुश्रवण एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए तीन वर्गों में कुल 38 लोगों को वर्ष 2015 के पुरस्कार हेतु प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किया जाकर पुरस्कृत किया गया।

वर्ष 2015 में दिये गये विभागीय पुरस्कारों का विवरण परिशिष्ट 20 में दर्शित हैं।

4.2. अभिनव योजना

4.2.1 स्थानीय रूप से विलुप्तप्रायः प्रजातियों का पुनर्वास

- **बाघ पुनर्वास कार्यक्रम** — पन्ना टाइगर रिजर्व से विलुप्त हो चुके बाघों का पुनर्वास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित है। यहां बाघों की संख्या शून्य हो गई थी जो अब बढ़कर 26 हो गयी है। पुनर्वास कार्यक्रम का द्वितीय चरण अभी प्रचलित है।

- **बारहसिंगा पुनर्वास कार्यक्रम** — कान्हा में पाये जाने वाली विशेष बारहसिंगा उप प्रजाति विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती तथा यह आवश्यक है कि इस प्रजाति को अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाये ताकि किसी प्राकृतिक आपदा या बीमारी से यह प्रजाति नष्ट न हो जाये। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा के स्थानांतरण की अनुमति प्राप्त हुई थी जिसके पश्चात जनवरी 2015 में 7 बारहसिंगा कान्हा टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित कर वन विहार स्थित कंजर्वेशन ब्रीडिंग इन्क्लोजर में विमुक्त किये जा चुके है। बारहसिंगा को मार्च 2015 में 8—8 की संख्या में दो शिफ्टों में कान्हा टाइगर रिजर्व से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया है।

- **सिंह पुनर्वास कार्यक्रम** — एशियाई सिंहों के पुनर्वास हेतु गुजरात के गिर अभयारण्य से सिंहों के पुनर्स्थापन की अनुमति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। दिनांक 15.04.2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। भारत सरकार द्वारा इस कार्ययोजना पर विस्तृत

विचार–विमर्श के उपरांत सिंह पुनर्स्थापन की प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी। इसके अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

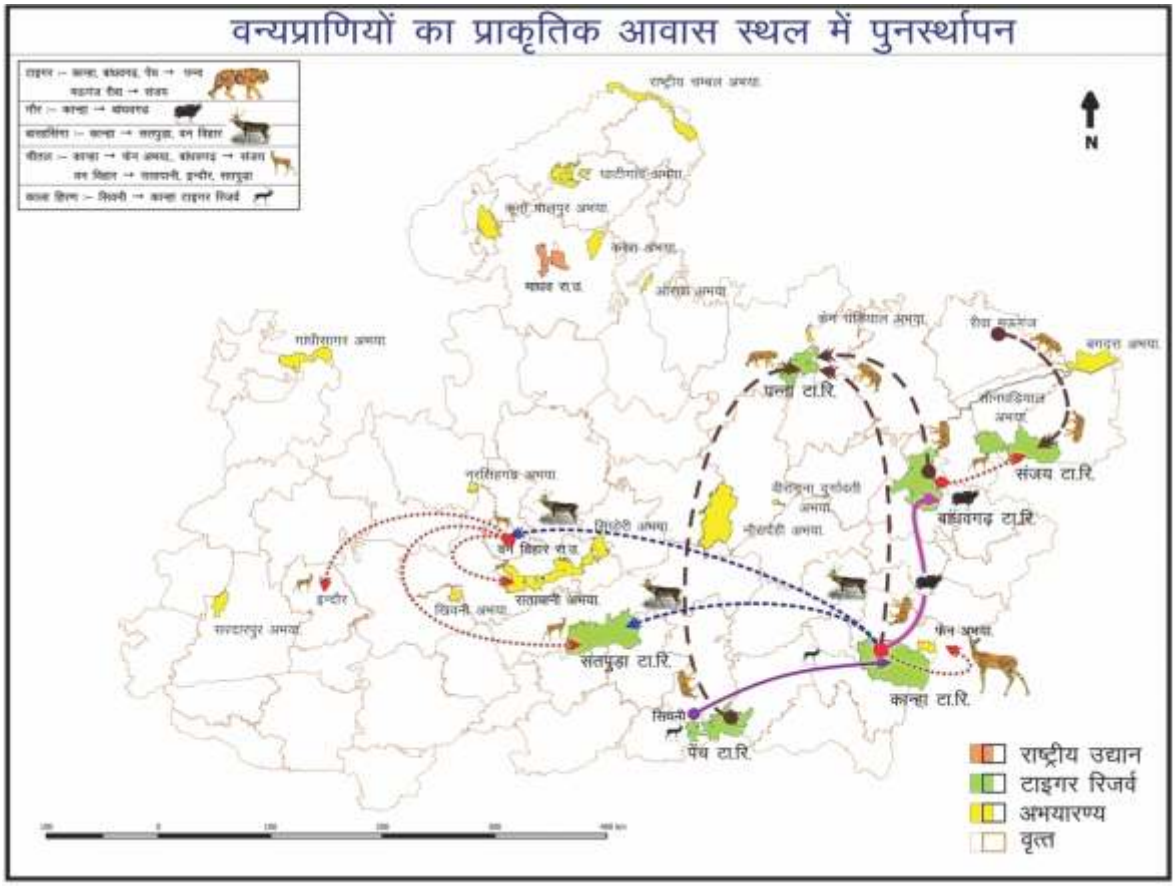

- **अन्य प्रजातियों का पुनर्वास कार्यक्रम** – कान्हा टाइगर रिजर्व में कृष्णमृग पुनर्स्थापन का कार्य किया जा चुका है। इनकी संख्या में निरंतर वृद्वि हो रही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से रातापानी अभयारण्य, रालामण्डल अभयारण्य एवं इन्दौर स्थित चिड़ियाघर में चीतलों का पुनर्स्थापन किया गया है।

- **सतना जिले में चिड़ियाघर एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना** – सतना जिले के मुकुन्दपुर में सफेद बाघ सफारी, चिड़ियाघर, रेस्क्यू केन्द्र व ब्रीडिंग केन्द्र की स्थापना केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भारत सरकार की अनुमति अनुसार प्रचलित है।

4.2.2 कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना :–

पृथ्वी के वातावरण में CO_2 एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में निरंतर वृद्धि वैज्ञानिकों और नीति निर्धारकों के लिए चिंता का विषय है । इस वृद्धि के फलस्वरुप होने वाले मौसम परिवर्तन से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ने एवं ध्रुव क्षेत्रों पर जमे हिमखंड पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ने की संभावना है। साथ ही कृषि क्षेत्र पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

मध्यप्रदेश वन विभाग की प्रोजेक्ट शाखा द्वारा पूर्व से संचालित परिस्थितिकीय सेवाओं एवं वनों के माध्यम से मौसम परिवर्तन के अध्ययन के कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित नेशनल कार्बन प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश की चौथी कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना बैतूल जिले के पश्चिम बैतूल वनमंडल में की गई है। मध्यप्रदेश में द्वितीय एवं देश में छठवीं कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किये जाने हेतु इसरो द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

4.2.3 USAID Forest-PLUS कार्यक्रम

मध्य प्रदेश में USAID द्वारा मध्य प्रदश वन विभाग की सहायता से Forest Plus कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम वर्ष 2012 में USAID तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत हुए परस्पर समन्वय के अंतर्गत प्रदश में होशंगाबाद एवं हरदा वनमण्डल तथा तवा नदी के आस–पास सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बफरजोन में क्रियान्वित किया जा रहा है।

योजना क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदश वन विभाग एवं USAID के बीच उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु MoU हस्ताक्षरित किया गया है। योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में एक State Steering Committee का भी गठन किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से USAID मध्य प्रदश वन विभाग को REDD+ परियेाजनाओं के निर्माण में आवश्यक फारेस्ट कार्बन इन्वेंट्री, इको सिस्टम मेनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग तकनीकों के विकास हेतु रूपरेखा तथा संरचना विकसित करने तथा विभाग के अधिकारियों एवं समिति सदस्यों के मध्य आवश्यक जागरूकता निर्माण तथा क्षमता विकास हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

USAID के consaltants के द्वारा इस योजना के विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा है। USAID द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु Project Implementation Plan तैयार किया गया है। होंशगाबाद वृत्त में विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु USAID द्वारा Regional Co-ordinator की नियुक्ति की गई है। इसी येाजना के तहत होशंगाबाद वृत्त में पिछले दशक में फारेस्ट कवर आये बदलाव को मैप करने हेतु Remote Sensing Analysis का कार्य प्रारंभ किया गया है।

4.2.4 राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा प्रवर्तित कुटीर उद्योग योजना

- इस योजना के अंतर्गत लघुवनोपज का श्रेणीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्यवृद्धि, माध्यमिक प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य 263 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में कराये जाने हैं जिससे लघुवनोपज संग्राहकों (संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्य) को अधिक मूल्य प्राप्त होकर उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी।इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिए रू. 8.66 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसमें से राशि रू. 4.33 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध रू. 3.94 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

- योजना के अंतर्गत प्रदश के 9 जिलों (सिवनी, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर, सीधी, बालाघाट, शहडोल, सतना एवं उमरिया) के अन्तर्गत 35 प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण किया जाना था, जिसके विरूद्ध 26 प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण किया जा चुका है तथा शेष प्रसंस्करण केन्द्रों का कार्य प्रगति पर है। लघु वनोपज के प्रसंस्करण के अनुरूप मशीन एवं उपकरणों के क्रय की कार्रवाई की जा रही है। लघुवनोपज/औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विदोहन एवं प्रबंधन तकनीक पर संबंधित समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक 86 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 4553 सदस्य प्रशिक्षित किये जा चुके हैं।

4.2.5 अन्य उल्लेखनीय कार्य

1. वनों पर से काष्ठ की निर्भरता कम करने की दृष्टि से कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने की नीति के तहत निजी भूमि पर उगाई गई 53 वृक्ष प्रजातियों को म0प्र0 अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के तहत परिवहन अनुज्ञापत्र की अनिवार्यतः से मुक्त किया गया हैं ।

2. नर्मदा नदी पर बने बांधों के फलस्वरूप टापू बने वन क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र से लगे वनक्षेत्रो में खण्डवा जिले में 3 जलचौकिया की स्थापित की जा चुकी जो कि अवैध कटाई रोकने में कारगर साबित हुई है। वर्तमान में देवास, बड़वाह, बड़वानी जिले में 3 नवीन वन जल चौकियों की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है ।

वन गश्ती दल परिक्षेत्र सिंगाजी वनमंडल खंडवा

4.2.6 समन्वय शाखा

लोक सेवा गारंटी अधिनियम :–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नागरिकों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों एवं गतिविधियों से संबंधित विभिन्न जन सेवाओं को समय–सीमा में उपलब्ध कराये जाने हेतु "मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" लागू किया गया है।

म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत वन विभाग से संबंधित निम्नलिखित सेवायें सम्मिलित की गई है। संबंधित सेवाओं के नाम पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारियों की सूची एवं सेवा उपलब्ध कराये जाने की समय–सीमा तालिका क्रमांक 4. 1 में दर्शित है।

तालिका कमांक 4.1
लोक सेवा गारंटी योजना

सेवा क.	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
10.1	वन्यप्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	वनमंडलअधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.2	वन्यप्राणियों से जनघायल हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	7 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक

सेवा क.	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
10.3	वन्यप्राणीयों से पशु हानि हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान। 1. डिपों में काष्ठ प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान के प्रकरण। 2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण।	वनमंडलाधिकारी वनमंडलाधिकारी	45 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	वन संरक्षक वन संरक्षक	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना	1. शासकीय काष्ठागार हेतु काष्ठागार अधिकारी/ परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	उप वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		2.काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी /विनिर्माता हेतु परिक्षेत्राधिकारी	10 कार्य दिवस	उप वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु उप वन मण्डलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनसंरक्षक

विभाग द्वारा इस योजना का प्रभावी कियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। योजना का कियान्वयन ऑन लाईन होने के परणिाम स्वरूप इसका सतत् अनुश्रवण मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से किया जा रहा है। सेवा प्रदया की स्थिति तालिका कमांक 4.2 में दर्शित है।

तालिका कमांक 4.2
लोक सेवा गारंटी अन्तर्गत सेवा प्रदाय की स्थिति
(वर्ष 2015 की स्थिति में)

प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निर्धारित समय सीमा में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			निर्धारित समय सीमा के पश्चात् निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			लंबित आवेदन पत्रों की संख्या					
							समय सीमा बाह्य	जिनकी समय सीमा पूर्ण होगी।				
	सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग	सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग		आज	2 दिनों में	3 दिनों में	3 दिनों के बाद	योग
90862	89198	820	90018	525	41	566	0	0	0	0	278	278

4.3 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

वनों का क्षेत्रफल

मध्य प्रदेश के वनों के क्षेत्रफल राजस्व आदि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े तालिका क्रमांक 4.3 से 4.4 में दर्शित है।

तालिक क्रमांक 4.3
देश की तुलना में मध्य प्रदेश के वन

(वर्ग कि.मी.)

	भौगोलिक क्षेत्र	वनक्षेत्र	प्रतिशत वनक्षेत्र
भारत	32,87,263	7,64,566	23.26
मध्य प्रदेश	3,08,245	94,689	30.72

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015)

तालिक क्रमांक 4.4
प्रदेश के वनक्षेत्रों की वैधानिक स्थिति

(वर्ग कि.मी.)

वर्गीकरण	क्षेत्रफल	प्रतिशत
आरक्षित वन	61,886	65.36
संरक्षित वन	31,098	32.84
अन्य	1,705	1.80
योग	**94,689**	**100.00**

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015)

भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) देहरादून द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के आधार पर प्रदेश में विगत पॉच वर्षों के वनावरण की स्थिति की तालिका क्रमांक 4.5 में दर्शित है।

तालिक क्रमांक 4.5
प्रदेश के वनों का घनत्व–वार क्षेत्रफल

(वर्ग कि.मी.)

वनों का प्रकार	प्रतिवेदन वर्ष		
	2011	**2013**	**2015**
अति सघन वन	6640	6632	6629
सामान्य सघन वन	34986	34921	34902
खुले वन	36074	35969	35931
योग	**77700**	**77522**	**77462**
खुला रिक्त क्षेत्र *	16989	17167	17227

*रिक्त खुला क्षेत्र– ऐसे वन जिनका घनत्व 0.1 से कम है। इसका उल्लेख स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में नहीं है। (स्त्रोत : स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट)

भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार जिलेवार वनावरण की स्थिति परिशिष्ट क्रमांक 19 में दर्शित है। प्रतिवेदन के आधार पर प्रदेश में वनों के प्रकार तथा क्षेत्रफल की जानकारी तालिका क्रमांक 4.6 में दर्शित है :–

तालिक क्रमांक 4.6
प्रदेश के वनों के प्रकार और क्षेत्रफल

(वर्ग कि.मी.)

संरचना	क्षेत्रफल	प्रतिशत
सागौन	18,332	19.36
साल	3,932	4.15
मिश्रित एंव अन्य	55436	58.49
रिक्त (खुला क्षेत्र)	16989	18.00
योग	94,689	100.00

(बांस वनक्षेत्र 13059 वर्ग कि0मी0 अतिव्यापी क्षेत्र)

———————

भाग– पाँच

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

वर्ष 2015 में निम्नाकिंत दो पुस्तकों का प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया हैः–

1. मध्यप्रदेश में वन प्रबंधन का इतिहास – लेखक डॉ एम.सी शर्मा,
2. मध्यप्रदेश के वनों का प्रकार – लेखक डॉ एम.सी शर्मा,

विभाग द्वारा कोई नियतकालीन पत्रिका आदि का प्रकाशन नही किया जाता है।

———————————